**संख्या-20 /2024/258/30-3-2024**

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनाँक 04 मार्च, 2024

विषय- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में निर्मित सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में जी0एस0टी0 वृद्धि में अन्तर की धनराशि रू0 38.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18ए/2024-13ए/2016, दिनांक 29 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में निर्मित सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में जी0एस0टी0 वृद्धि 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के अन्तर की धनराशि रू0 38.02 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-20-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में "सारथी हॉल्" सहित भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में पुनर्विनियोजित की गयी धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में निर्मित सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में जी0एस0टी0 वृद्धि में अन्तर की धनराशि रू0 38.02 लाख (रू0 अड़तीस लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च 2023 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
(3) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
(5) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-20-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में "सारथी हॉल्" सहित भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में पुनर्विनियोजित की गयी धनराशि रू0 500.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/258(1)/30-3-2024, तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, शामली।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।